न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 08/2021 बउनवानी मो0 इस्लाम खान बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अ0 रिकार्ड रूम(राजस्व) एडवोकेट, निवासी स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/17

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
17.02.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.1(138)/सूकाअ/2020/3428 दिनांक 15.12.2020 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. जगदीश मालधनी स्टाम्प विक्रेता के दिनांक 30.8.1995 के स्टाम्प बिचौती रजिस्टर की प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागर के पत्रांक रिकार्ड/202/67 दिनांक 09.02.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2020 मे चाही गयी सूचना से संबंधित स्टाम्प विक्रेता रजिस्टर जिला अभिलेखागार जमा नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक रिकार्ड/2020/228 दिनांक 21.12.2020 से अपीलान्ट को अवगत कराया जा चुका है कि श्री जगदीश मालधनी स्टाम्प विक्रेता का दिनांक 30.8.1995 का स्टाम्प बिचौती रजिस्टर जिला अभिलेखागार मे जमा नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित स्टाम्प बिचौती रजिस्टर जिला अभिलेखागार मे जमा नही होने के कारण प्रभारी अधिकरी अभिलेखागार के पत्रांक 228 दिनांक 21.12.2020 से अधिनियम की तय समय सीमा में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे जमा नही हुआ है इसलिए जिला अभिलेखागार से उक्त सूचना [illegible] को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) 17/2/21 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:41:39 IST
Reason: SelfAttested